



|                                                           |                                      |                    |             |                                                        |           |                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| ग्राम क्रमांक : 143546                                    | ग्राम का नाम (परगना) : सैवई (विजनौर) | तहसील : सरोजनी नगर | जनपद : लखनऊ | फसली वर्ष : 1425-1430 (01 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2023) | पन्ना : 1 | (1) छाता संख्या : 00235 |
| श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो |                                      |                    |             |                                                        |           |                         |

ת.ת. 14.1 אכר/ח 1/21



(1) कृषिक से अकृषिक (धारा 80) : आदेश उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ वाद स.टी-202110460505241 ता.कै.25.3.2021 शीतल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. बनाम उ.प्र.सरकार अन्तर्गत धारा 80 अधिनियम उ.प्र.राजस्व संहिता 2006 ग्राम सेवई की खाता स.235 पर अंकित गाटा स.404 रकबा 0.2180हे. व गाटा स.400 रकबा 0.0105हे. व गाटा स.407 रकबा 0.0835हे. व गाटा स.439 रकबा 0.0925हे. व खाता स.163 पर अंकित गाटा स.403 रकबा 0.2510हे. व खाता स.243 पर अंकित गाटा स.424 रकबा 0.600हे. कुल 6किता रकबा 1.2555हे. शीतल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. कार्यालय इन्दिरा नगर लखनऊ द्वारा डायरेक्टर विमल कुमार पुत्र दिलीप कुमार नि.सी.2195 इन्दिरा नगर लखनऊ मा.गु.60ख को आकृषिक घोषित किया जाता है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्णय लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के नियमों के अनुसार ही अनुमन्य होगा यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो तहसीलदार तत्काल आख्या प्रस्तुत करेंगे परन्तु आदेश की घोषणा के भीतर यदि भूमिधर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उ.प्र.रा. सहित संशोधन अध्यादेश 2019 के अनुसार धारा 80 रा.संहिता की उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अतिरिक्त एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निस्त माना जायेगा। (डिजिटल हस्ताक्षर : NARENDRA KUMAR MISHRA / 05-03-2024)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचारार्थीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खानेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खानेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अप्रयुक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी/सहा.कले. (प्र.श्रे.) सदर लखनऊ वाद सं. 513/14-15 शीतला इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. बनाम उ.प्र. सरकार धारा 143 जेड.ए.एल.आर. एकट ता.कै. 19.2.15 ग्राम सेवई पगना बिजनोर तहसील व जिला लखनऊ की भूमि खसरा सं. 440/0.253 है., 413/0.330 है., 433/0.266 है., 405/2) 0.076 है. कुल 4 किता कुल रकबा 0.925 है. पूर्ण व 404/0.436 है., 400/0.021 है., 407/0.167 है., 439/0.185 है. कुल 4 किता कुल रकबा 0.809 है. में से रकबा 0.4045 है., 445/0.299 है. पूर्ण व 419/10.038 है., 437/0.190 है. कुल 2 किता कुल रकबा 0.228 है. रकबा 1.8566 है. भूमि को

3) कृषि प्रयोजन से भिन प्रयोजन की भूमि (अकृषिक) घोषित किया जाता है। यह घोषणा केवल राजस्व की दृष्टि से की जा रही है, अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर उसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्माण लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के अनुसार ही अनुमन्य होगा ह.र.का. 30.3.15

4) आदेश उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर लखनऊ वाद स.टी-202110460505241 ता.कै.25.3.2021 शीतल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. बनाम उ.प्र.सरकार अन्तर्गत धारा 80 अधिनियम उ.प्र.राजस्व संहिता 2006 ग्राम सेवई की खाता स.235 पर अंकित गाटा स.404 रकबा 0.2180हे. व गाटा स.400 रकबा 0.0105हे. व गाटा स.407 रकबा 0.0835हे. व गाटा स.439 रकबा 0.0925हे. व खाता स.163 पर अंकित गाटा स.403 रकबा 0.2510हे. व खाता स.243 पर अंकित गाटा स.424 रकबा 0.600हे. कुल 6किता रकबा 1.2555हे. शीतल इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा.लि. कार्यालय इन्दिरा नगर लखनऊ द्वारा डायरेक्टर विमल कुमार पुत्र दिलीप कुमार नि.सी.2195 इन्दिरा नगर लखनऊ मा.गु.60ख को आकृषिक घोषित किया जाता है। अन्य अधिनियमों एवं मास्टर प्लान पर इसका प्रभाव नहीं होगा। इस भूमि का प्रयोग एवं इस पर निर्णय लखनऊ विकास क्षेत्र महायोजना 2021 के नियमों के अनुसार ही अनुमन्य होगा यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से सम्बन्धित कार्य हेतु उपयोग किया जाता है तो तहसीलदार तत्काल आख्या प्रस्तुत करेंगे परन्तु आदेश की घोषणा के भीतर यदि भूमिधर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उ.प्र.रा. सहित संशोधन अध्यादेश 2019 के अनुसार धारा 80 रा.संहिता की उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य कभी भी अतिरिक्त एवं फर्जी पाये जाने पर आदेश स्वतः निस्त माना जायेगा।

Data Digitally Signed by: NARENDRA KUMAR MISHRA/REVENUE KANOONGO)

दिनांक/समय/स्थान: 31-01-2026 01:59:42 बस्तील : सरोजनी नगर

यह दस्तावेज़ नैतिक, कानूनी सिद्धांत द्वारा वैध है तथा इसका डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित है।

सुदृष्टि कर्म : AJAY SHUKLA बस्तील : सरोजनी नगर  
सुदृष्टि दिनांक एवं समय: 31-01-2026 01:59:42  
Not Applicable For Online Prints उत्तरीक उत्तरण खतीर्ण का सेरिफिकेशन <https://upbhublekh.gov.in> Website पर जाकर अपना QR Code Scan करके किया जा सकता है।

